संख्या-21/2022/ 2669 /001-237-2020

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
यूनानी सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 05 सितम्बर, 2022

विषयः- राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास के निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-849/यू0नि0/1321-योजना/2022-23, दिनांक 26.07.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास के निर्माण कार्य हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में मूल्यांकित लागत धनराशि रू0-883.30 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-200.00 लाख (रूपया दो करोड मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(3) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, यूनानी सेवायें तथा संबंधित प्रधानाचार्य की होगी।

(4) निदेशक, यूनानी सेवायें तथा संबंधित प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, यूनानी सेवायें तथा संबंधित प्रधानाचार्य का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, यूनानी सेवायें तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(7) निदेशक, यूनानी सेवायें तथा संबंधित प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(8) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।

(10) प्रयोजना हेतु 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 कि धनराशि अनुमन्य की गयी है। प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रयोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(11) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(12) आगणन में ली गयी मात्राओं/प्राविधानों/दरों के औचित्य की पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्थां निदेशक यूनानी एवं संबंधित प्राचार्य की होगी।

(13) आगणन में उल्लिखित मदों/मात्राओं/दरों/लागत को इण्डिकेटिव मानते हुए मात्र बजट एलोकेशन हेतु ही प्रयोग किया जाये।

(14) प्रायोजना अंतर्गत कार्यमदों/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यॉकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(15) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण/स्थापना का कार्य किया जायेगा।

(16) परियोजना में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण/स्थापना के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रधानाचार्य, कार्यदायी संस्था तथा निदेशक, यूनानी सेवायें उ0प्र0 का होगा।

(17) परियोजना में प्रस्तावित कार्यों/स्थापना सम्बन्धी कार्य की डुप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से निर्माण ईकाई/सम्बन्धित प्रधानाचार्य तथा निदेशक, यूनानी सेवायें उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत था और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(18) प्रायोजना अन्तर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुडस) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई0 टेण्डर/ई0 प्रोक्योरमेंट/गर्वनमेन्ट, ई0मार्केट प्लस (जेम पोर्टल) से सम्बन्धित सभी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, निदेशक, यूनानी एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(20) निदेशक यूनानी सेवायें उ0प्र0, प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक तथा कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य सम्पादित करते समय वित्त/लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(22) उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की गुणवत्ता रिपोर्ट एवं निदेशक/प्राचार्य द्वारा संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट के पश्चात ही अग़ली किश्त निर्गत की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 033 **लेखा शीर्षक** 4210018000600 यूनानी कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-3-213-X-2022-23, दिनांक 01 सितम्बर, 2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-21/2022/2669/001-237-2020, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) संबंधित मुख्य कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक यूनानी)।
(4) वित्त नियंत्रक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)।
(6) अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड प्रयागराज-01, तेलियरगंज, प्रयागराज।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शैलेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।